CHHATTISGARH SWAMI VIVEKANAND TECHNICAL UNIVERSITY, BHILAI
छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय, भिलाई

क्रमांक / 5117 / छगस्वावितवि / सू.प्र. / 2024 भिलाई, दिनांक : 26/7/2

प्रति,

प्राचार्य

(समस्त इंजीनियरिंग महाविद्यालय / पालीटेक्निक / फार्मेसी संस्थाऐं)

....

....

विषयः राज्य में स्थित तकनीकी संस्थाओं में अध्ययनरत छात्र / छात्राओं के एक संस्था से दूसरी संस्था में स्थानांतरण एवं विश्वविद्यालय स्थानांतरण के संबंध में।

उपरोक्त विषयांतर्गत इंजीनियरिंग / फार्मेसी के तृतीय एवं पंचम सेमेस्टर तथा डिप्लोमा इंजीनियरिंग के तृतीय सेमेस्टर में कॉलेज स्थानांतरण के लिये अनापत्ति प्रमाण–पत्र(T1 एवं T2) विश्वविद्यालय में जमा करने की अंतिम तिथि **31 अगस्त 2024** निर्धारित की जाती है। निर्धारित तिथि पश्चात कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

Internal Counselling की प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात् ही छात्रों को अनापत्ति प्रमाण–पत्र (T2) प्रदान किया जावे।

राज्य एवं राज्य के बाहर स्थित अन्य विश्वविद्यालय से इस विश्वविद्यालय में स्थानांतरण हेतु आवेदन करने की अंतिम तिथि **31 अगस्त 2024** निर्धारित की जाती है। इस हेतु छत्तीसगढ़ शासन के आदेश क्रमांक एफ 9–37 / 2014 / तक.शि. / 42 नया रायपुर, दिनांक 06 / 08 / 2015 का अवलोकन करें।

संस्था स्थानांतरण हेतु विश्वविद्यालय द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांकः छस्वावितवि / प्रशा. / 2023 / 4501 भिलाई, दिनांकः16 / 08 / 2023 के अनुसार प्रति छात्र शुल्क Rs.2000/- एवं विश्वविद्यालय स्थानांतरण हेतु प्रति छात्र शुल्क Rs.5000/- जमा करना अनिवार्य होगा।

संलग्नः उपरोक्तानुसार। **आदेशानुसार**

कुलसचिव(प्र)
छगस्वावितवि, **भिलाई**

प्रतिलिपि :

1. संचालक, संचालनालय तकनीकी शिक्षा, अटल नगर रायपुर (छत्तीसगढ़)
2. परीक्षा नियंत्रक, छगस्वावितवि, भिलाई।
3. निज सहायक, माननीय कुलपति महोदय छगस्वावितवि, भिलाई।
4. विश्वविद्यालय के website में upload हेतु।
5. मास्टर फाइल।

Village-Newai, Post-Newai, Bhilai, Distt.-Durg (Chhattisgarh) 491 107
Ph. No.: 0788-2200062, Fax No.: 0788-2445020, Website: www.csvtu.ac.in, E-mail: registrar@csvtu.ac.in

CHHATTISGARH SWAMI VIVEKANAND TECHNICAL UNIVERSITY, BHILAI
छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय, भिलाई

क्रमांक / 5116 / छगस्वावितवि / सू.प्र. / 2024 भिलाई, दिनांक : 26/7/24

प्रति,

प्राचार्य

(समस्त इंजीनियरिंग महाविद्यालय / पालीटेक्निक संस्थाऐं)

....

....

विषयः इंजीनियरिंग एवं डिप्लोमा इंजीनियरिंग के तृतीय सेमेस्टर में Internal Counselling करने के संबंध में।

उपरोक्त विषयांतर्गत इंजीनियरिंग एवं डिप्लोमा इंजीनियरिंग के तृतीय सेमेस्टर में ब्रांच परिवर्तन के लिए Internal Counselling आयोजित कर ब्रांच परिवर्तित विद्यार्थियों की सूची दिनांकः **31 अगस्त 2024** तक अनिवार्य रूप से विश्वविद्यालय में जमा करना सुनिश्चित करें।

ब्रांच परिवर्तन हेतु विश्वविद्यालय द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांकः छस्वावितवि / प्रशा. / 2023 / 4501 भिलाई, दिनांकः16 / 08 / 2023 के अनुसार प्रति छात्र शुल्क Rs.1000/- जमा करना अनिवार्य होगा।

उपरोक्त निर्धारित तिथि उपरांत कोई भी सूची स्वीकार नही की जावेगी।

संलग्नः उपरोक्तानुसार।

आदेशानुसार

कुलसचिव(प्र)
छगस्वावितवि, भिलाई

प्रतिलिपि :

1. संचालक, संचालनालय तकनीकी शिक्षा, अटल नगर रायपुर (छत्तीसगढ़)
2. परीक्षा नियंत्रक, छगस्वावितवि, भिलाई।
3. निज सहायक, माननीय कुलपति महोदय छगस्वावितवि, भिलाई।
4. विश्वविद्यालय के website में upload हेतु।
5. मास्टर फाइल।

Village-Newai, Post-Newai, Bhilai, Distt.-Durg (Chhattisgarh) 491 107
Ph. No.: 0788-2200062, Fax No.: 0788-2445020, Website: www.csvtu.ac.in, E-mail: registrar@csvtu.ac.in

क्रमांक : छस्वावितवि / प्रशा. / 2023 / 4501 भिलाई, दिनांक : 16/08/2023

अधिसूचना

कार्य परिषद की 106वीं बैठक दिनांक 28.02.2023 में लिए गये निर्णयानुसार तथा राजभवन, रायपुर से अनुमोदन पश्चात अध्यादेश क्रमांक–8 (Fees and Remuneration for Examination) में संशोधन के संबंध में निम्नानुसार अधिसूचित किया जाता है :–

क्र.	कार्य का प्रकार	शुल्क
1.	ब्रांच परिवर्तन हेतु प्रति छात्र शुल्क	Rs. 1000/-
2.	संस्था स्थानांतरण हेतु प्रति छात्र शुल्क	Rs. 2000/-
3.	विश्वविद्यालय स्थानांतरण हेतु प्रति छात्र शुल्क	Rs. 5000/-

आदेशानुसार
16/8/23
कुलसचिव,
छस्वावितवि, भिलाई

क्रमांक : छस्वावितवि / प्रशा. / 2023 / 4502 भिलाई, दिनांक : 16/08/2023
प्रतिलिपि :

1. विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त महाविद्यालयों / संस्थाओं को सूचनार्थ।
2. विश्वविद्यालय सूचना पटल एवं विश्वविद्यालय के वेबसाइट में प्रदर्शित करने हेतु।
3. उप कुलसचिव, प्रशासन, छस्वावितवि, भिलाई।
4. उप कुलसचिव, इन्फोसेल, छस्वावितवि, भिलाई।
5. मुख्य वित्त अधिकारी, छस्वावितवि, भिलाई।
6. प्रभारी परीक्षा नियंत्रक, छस्वावितवि, भिलाई।
7. प्रभारी अधिकारी, अकादमिक, छस्वावितवि, भिलाई।
8. निज सहायक मा. कुलपति।
9. निज सहायक कुलाधिसचिव।
10. मास्टर फाइल।

16/8/23
कुलसचिव,
छस्वावितवि, भिलाई

छत्तीसगढ़ शासन
कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा
एवं रोजगार विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, रायपुर

अटल नगर, रायपुर, दिनांक 11 /02/2019

क्रमांक : एफ 9-37/2019/तक.शि./42

प्रति,

संचालक,
तकनीकी शिक्षा संचालनालय
इंद्रावती भवन, अटल नगर,
रायपुर (छत्तीसगढ़)

विषय :- तकनीकी संस्थाओं में अध्ययनरत छात्रों के ब्रांच परिवर्तन एवं एक संस्था से दूसरी संस्था में स्थानांतरण के संबंध में नीति में आंशिक संशोधन बाबत्।

--000--

राज्य शासन एतद्द्वारा राज्य में स्थित तकनीकी संस्थाओं में अध्ययनरत छात्रों के एक संस्था से दूसरी संस्था में स्थानांतरण के संबंध में पूर्व प्रचलित स्थानांतरण नीति में निम्नानुसार आंशिक संशोधन हेतु सहमति प्रदान करता है :-

क्र	पूर्व प्रचलित नीति	आंशिक संशोधन
1	विश्वविद्यालय के अंतर्गत एक सम्बद्ध संस्था से दूसरी सम्बद्ध संस्था में स्थानांतरण के मामले में पॉलीटेक्निकों के तृतीय सेमेस्टर में स्थानांतरण के लिए प्रथम सेमेस्टर में उत्तीर्ण होने की अनिवार्यता नहीं होगी।	विश्वविद्यालय से सम्बद्ध पॉलीटेक्निक संस्थाओं में तृतीय सेमेस्टर में ब्रांच परिवर्तन अथवा एक सम्बद्ध संस्था से दूसरी सम्बद्ध संस्था में तृतीय सेमेस्टर में स्थानांतरण के लिए प्रथम सेमेस्टर में उत्तीर्ण होने की अनिवार्यता नहीं होगी।
2	विश्वविद्यालय के अंतर्गत एक संम्बद्ध संस्था से दूसरी संबद्ध संस्था में स्थानांतरण के मामले में इंजीनियरिंग महाविद्यालयों में तृतीय सेमेस्टर में स्थानांतरण के लिए प्रथम सेमेस्टर एवं पंचम सेमेस्टर में स्थानांतरण के लिए प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय सेमेस्टर उत्तीर्ण होने की अनिवार्यता नहीं होगी। बैकलॉग विद्यार्थियों के मेरिट निर्धारण की शर्तें विश्वविद्यालय द्वारा तय की जावेगी। स्थानांतरण नीति की अन्य शर्तें यथावत रहेंगी।	विश्वविद्यालय से सम्बद्ध इंजीनियरिंग महाविद्यालयों में तृतीय सेमेस्टर में ब्रांच परिवर्तन अथवा विश्वविद्यालय के अंतर्गत एक सम्बद्ध संस्था से दूसरी सम्बद्ध संस्था में स्थानांतरण के मामले में इंजीनियरिंग महिविद्यालयों में तृतीय सेमेस्टर में स्थानांतरण के लिए प्रथम सेमेस्टर एवं पंचम सेमेस्टर में स्थानांतरण के लिए प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय सेमेस्टर उत्तीर्ण होने की अनिवार्यता नहीं होगी। बैकलॉग विद्यार्थियों के मेरिट निर्धारण की शर्तें विश्वविद्यालय द्वारा तय की जावेगी।
3	वर्तमान में प्रचलित स्थानांतरण नीति अनुसार :- 4(vii) स्थानांतरण चाहने वाले छात्र को अध्ययनरत संस्था में तथा जिस संस्था में स्थानांतरण चाहता है दोनों संस्थाओं में स्थानांतरण हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा। 4(viii) छात्र के आवेदन पर दोनों संस्थायें अनापत्ति प्रमाण पत्र छात्र को जारी करेंगे। अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप छोड़ने वाली संस्था के लिए T-1 एवं लेने वाली संस्था के लिए T-2 में होना अनिवार्य है।	प्रचलित नीति में निम्न परन्तुक जोड़ा जाता है :- परन्तु किसी संस्था में ब्रांच बंद होने की स्थिति में संस्था के उस ब्रांच के छात्रों के लिये अन्य संस्था में स्थानांतरण हेतु T-1 की अनिवार्यता नहीं रहेंगी। स्थानांतरण नीति की अन्य शर्तें यथावत रहेंगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(नारायण सिंह ठाकुर)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग

... निरंतर ...

OSD (Acd) / OSD (info)

OSD (info)

21/02/19

011/2574
21.02.19

छत्तीसगढ़ शासन
तकनीकी शिक्षा, जनशक्ति नियोजन,
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

क्रमांक एफ 9–37 / 2014 / तक.शि. / 42 नया रायपुर, दिनांक 6 / 8 / 2015

प्रति,

आयुक्त–सह–संचालक
तकनीकी शिक्षा संचालनालय
इन्द्रावती भवन, नया रायपुर

विषय :– तकनीकी संस्थाओं में अध्ययनरत छात्रों के ब्रांच परिवर्तन एवं एक संस्था से दूसरी संस्था में स्थानांतरण के संबंध में नीति में संशोधन बाबत्।

––––0––––

राज्य शासन एतद्द्वारा विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 18.9.2014 के अनुक्रम में छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय भिलाई के पत्र क्रमांक / छस्वावितवि / प्रशा. / 2015 / 1946, 1948, एवं 156–R, दिनांक 29.7.2015 द्वारा दी गई सहमति अनुसार अन्य राज्य के तकनीकी संस्थाओं से राज्य में संचालित तकनीकी संस्थाओं में स्थानांतरण करने एवं बंद होने की स्थिति में अध्ययनरत छात्रों को अन्य संस्थाओं में समायोजन करने हेतु तकनीकी संस्थाओं में अध्ययनरत छात्रों के ब्रांच परिवतन एवं एक संस्था से दूसरी संस्था में स्थानांतरण करने के संबंध में पूर्व प्रचलित नीति में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :–

क्र.	पूर्व प्रचलित नीति	संशोधन
1.	5(i) अन्य राज्यों की शासकीय तकनीकी संस्था से छ.ग. राज्य के शासकीय संस्था में स्थानांतरण रिक्त स्थानों पर छ.ग. राज्य के छात्रों की प्राथमिकता के बाद अन्य राज्य के छात्रों का मेरिट के आधार पर किया जा सकेगा। 5(ii) अन्य राज्यों के छात्रों का एआई सीटीई से मान्यता प्राप्त तकनीकी संस्था से छ.ग. राज्य में तथा छ.ग. राज्य के छात्रों का अन्य राज्यों में स्थानांतरण स्थान रिक्त रहने पर उपरोक्त नीति अनुसार छत्तीसगढ़ शासन द्वारा किया जावेगा	(i) अन्य राज्यों की तकनीकी संस्था से छ.ग. राज्य की शासकीय संस्था में स्थानांतरण नहीं हो सकेंगे। (ii) अन्य राज्यों की एआईसीटीई से मान्यता प्राप्त तकनीकी संस्था से छ.ग. राज्य की स्वशासी – स्ववित्तीय एवं निजी संस्था में स्थान रिक्त होने की स्थिति में स्थानांतरण हो सकेंगे। (iii) अंतर्राज्यीय स्थानांतरण के समय छात्रों को पूर्व सेमेस्टर्स की सभी परीक्षाएं उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा। (iv) स्थानांतरण के लिये छात्र को संबंधित दोनों संस्थाओं एवं वर्तमान विश्वविद्यालय, जहॉ वह अध्ययनरत है, से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर छत्तीसगढ़ के संबंधित विश्वविद्यालय में जमा करना होगा। वांछित संस्था में वांछित ब्रांच में स्थान रिक्त होने की स्थिति में

		छत्तीसगढ़ के संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु तकनीकी शिक्षा संचालनालय को प्रस्ताव प्रेषित किया जायेगा। तकनीकी शिक्षा संचालनालय से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त होने के पश्चात् संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा T–3 जारी किया जावेगा। (v) अंतर्राज्यीय स्थानांतरण मामलों में विवाद की स्थिति में प्रकरण पर प्रशासकीय विभाग का निर्णय अंतिम होगा। (vi) राज्य स्तर के स्थानांतरण पश्चात् सीट रिक्त रहने पर अन्य राज्यों के छात्रों का स्थानांतरण उपरोक्त नियमानुसार किया जावेगा। अन्य राज्यों के छात्रों के स्थानांतरण में छत्तीसगढ़ के मूल निवासी छात्रों को प्राथमिकता दी जाएगी।
2.	पूर्व प्रचलित नियम में संस्था बंद होने की दशा में अध्ययनरत छात्रों को अन्य संस्था में समायोजन का कोई प्रावधान नहीं है।	छत्तीसगढ़ राज्य में संचालित तकनीकी संस्था बंद होने की स्थिति में अध्ययनरत छात्रों का छत्तीसगढ़ राज्य के अन्य तकनीकी संस्था में स्थानांतरण द्वारा समायोजन किया जावेगा। स्थानांतरण अन्य संस्था की रिक्त सीटों के विरूद्ध किसी भी सेमेस्टर में जिसके लिए छात्रों की पात्रता है, किया जावेगा। ऐसे समायोजन के लिए छात्रों के पिछली परीक्षाओं के परीक्षा परिणाम के संबंध में कोई बंधन नहीं होगा। स्थानांतरण द्वारा समायोजन की कार्यवाही नियमित स्थानांतरण संपन्न होने के पश्चात की जावेगी। इस हेतु विश्वविद्यालय द्वारा पूर्व घोषित तिथि में कॉउंसिलिंग आयोजित की जावेगी। कॉउंसिलिंग के लिए मेरिट निर्धारण की शर्ते विश्वविद्यालय द्वारा तय की जावेगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(अमृतलाल लिखार)
अवर सचिव
दूरभाष–0771–2510140

पृष्ठां. क्रमांक एफ 9–37 / 2014 / तक.शि. / 42,   नया रायपुर दिनांक   / 8 / 2015

प्रतिलिपि :–

1. विशेष सहायक, मान. मंत्रीजी, छत्तीसगढ़ शासन, तकनीकी शिक्षा, जनशक्ति नियोजन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर
2. कुलसचिव, छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय, भिलाई, जिला दुर्ग
3. प्राचार्य, समस्त शासकीय / निजी / इंजीनियरिंग महाविद्यालय एवं पॉलीटेक्निक / कन्या पॉलीटेक्निक संस्थाएं, छत्तीसगढ़
4. मास्टर फाईल तकनीकी शिक्षा विभाग

सूचनार्थ आवश्यक कार्यवाही हेतु।

(अमृतलाल लिखार)
अवर सचिव
दूरभाष–0771–2510140

CHHATTISGARH SWAMI VIVEKANAND TECHNICAL UNIVERSITY, BHILAI
छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय, भिलाई

Ref. No. CSVTU/Acad./2020/...2118 Bhilai, Date:08.09.2020

To,

All Concerns

Sub:- Report submitted by the committee for the change of branch of the students studying in Diploma in Engineering under the NITTTR scheme.

****

The committee constituted to finalize the change of branch of the students studying Diploma in Engineering, under the NITTTR scheme, has submitted the report. The report along with the guidelines for the change of branch is enclosed herewith.

Registrar 8/9/2020
CSVTU, Bhilai

Copy to:-

1. PS to H'VC
2. Director, Technical Education, Indrawati Bhawan, New Raipur
3. Mater File

Newai, P.O. Newai, Bhilai, Distt. Durg (Chhttisgarh) - 491107
Ph. No.: 0788-2200062, Fax No.: 0788-2445020, Website: www.csvtu.ac.in, E-mail: registrar@csvtu.ac.in

Date - 08.09.2020

विषय :—सत्र 2020—21 से पॉलीटेक्निक संस्थाओं में ब्रांच परिवर्तन संबंधी नीति निर्धारण।

आज दिनांक 08/09/2020 को विश्वविद्यालय में पॉलिटेक्निक संस्थाओं में अध्ययनरत छात्रों के ब्रांच परिवर्तन हेतु नीति निर्धारण करने के लिए बैठक संपन्न हुई ।

सत्र 2019—20 से डिप्लोमा इंजिनियरींग के लिए नया पाठ्क्रम लागू किया गया है जिसमें विभिन्न ब्रांचों को विभिन्न समूहों/उपसमूहों (IA, IB, & II) में बांटा गया है। सत्र 2020—21 से संस्था स्तर पर ब्रांच परिवर्तन हेतु निम्नानुसार अनुशंसा की जाती है:—

संस्था स्तर पर तृतीय सेमेस्टर में ब्रांच परिवर्तन हेतु अनुशंसा

क.	समूह/उपसमूह	प्रथम वर्ष में ब्रांच का नाम	तृतीय सेमेस्टर में ब्रांच परिवर्तन हेतु अनुशंसा
1	Group-IA	Civil Engineering	इन समस्त आठ (08) ब्रांचों में आपस में ब्रांच परिवर्तन हो सकेगा
		Electrical Engineering	
		Electrical & Electronics Engineering	
		Mining & Mine surveying	
	Group-IB	Mechanical Engineering	
		Metallurgy Engineering	
		Mining Engineering	
		Chemical Engineering	
2	Group-II	Electronics &Telecommunication Engineering	इन समस्त चार (04) ब्रांचों में आपस में ब्रांच परिवर्तन हो सकेगा ।
		Instrumentation Engineering	
		Computer Science & Engineering	
		Information Technology	
3	Non-PPT Courses	Modern office management	इनमे से किसी भी ब्रांच में आपस में कोई ब्रांच परिवर्तन नही होगा ।
		Costume Design & Dressmaking	
		Architecture	
		Interior Decoration & Design	

(Signed) 8.09.2020 — Dr. S. K. Singh

(Signed) — Dr. G. S. Bedi

(Signed) 8/9/2020 — R. P. Verma

(Signed) 8.9.20 — Smt. Mamta Agrawal